

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 273
22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: फसल भंडारण सुविधाओं का विस्तार

273. श्री राजीव राय:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर में किसानों को अपनी उपज के भंडारण के लिए सुसज्जित भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाए हैं;
- (ख) यदि हां, तो ऐसी भंडारण सुविधाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) गत पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के मऊ और बलिया जिलों में किसानों के लिए फसल भंडारण सुविधा बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): जी हाँ। सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में किसानों को सुसज्जित भंडारण सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, समेकित कृषि विपणन स्कीम (आईएसएम) के अंतर्गत एग्री मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) उप-स्कीम और एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) का कार्यान्वयन कर रहा है। इन स्कीमों का उद्देश्य फसलोपरांत होने वाले नुकसान को कम करना, भंडारण क्षमता को बढ़ाना और किसानों के लिए उपलब्ध विपणन अवसंरचना में सुधार करना है। एएमआई के अंतर्गत निर्मित राज्यवार भंडारण अवसंरचना **अनुबंध-I** पर दी गई है और एआईएफ के अंतर्गत दी गई सहायता **अनुबंध-II** पर दी गई है।

(ग): उत्तर प्रदेश के मऊ और बलिया जिले के लिए एएमआई और एआईएफ के अंतर्गत स्वीकृत भंडारण क्षमता और जारी की गई वित्तीय सहायता **अनुबंध-III** पर दी गई है।

अनुबंध-I

एएमआई: 30.06.2025 तक भंडारण अवसंरचना की राज्यवार प्रगति				
क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत क्षमता (एमटी)	जारी की गई सब्सिडी (लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	1551	6151150	31936.74
2	अरुणाचल प्रदेश	1	945	6.3
3	असम	377	1166504	7553.83
4	बिहार	1405	1568831	5663.08
5	छत्तीसगढ़	1409	2325298	8920.34
6	गोवा	1	299	0.94
7	गुजरात	12478	6251786	35640.41
8	हरियाणा	2386	7995121	45127.85
9	हिमाचल प्रदेश	88	30826	180.77
10	जम्मू एवं कश्मीर	18	98937	810.15
11	झारखंड	243	223327	1111.66
12	कर्नाटक	5113	4523571	21887.47
13	केरल	198	118917	649.91
14	मध्य प्रदेश	8496	29161316	174538.11
15	महाराष्ट्र	4499	9570046	35400.19
16	मेघालय	17	26012	253.41
17	मिजोरम	4	705	6.45
18	नागालैंड	36	26887	354.38
19	ओडिशा	723	1091492	4393.69
20	पंजाब	1839	7144351	25354.88
21	राजस्थान	1931	3952114	15142.22
22	तमिलनाडु	1244	1555776	5424.47
23	तेलंगाना	1403	6325582	32042.46
24	त्रिपुरा	6	35453	363.27
25	उत्तर प्रदेश	1311	6110222	20417.06
26	उत्तराखंड	375	1058450	4202.85
27	पश्चिम बंगाल	2644	1780588	5555.02
	कुल	49796	98294505	482937.92

अनुबंध-II

एआईएफ: राज्यवार भंडारण सुविधाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	वेयरहाउस		कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन	
	परियोजना की संख्या	स्वीकृत राशि	परियोजना की संख्या	स्वीकृत राशि
उत्तर प्रदेश	1210	836.04	738	2366.85
गुजरात	681	691.33	284	1604.31
महाराष्ट्र	1866	1962.68	253	794.55
पंजाब	138	178.75	232	635.10
मध्य प्रदेश	4431	4209.95	133	502.31
कर्नाटक	1482	1589.47	103	458.58
पश्चिम बंगाल	401	269.79	105	457.24
जम्मू एवं कश्मीर	14	19.22	19	363.31
आंध्र प्रदेश	656	1184.50	51	257.79
छत्तीसगढ़	443	474.56	66	209.11
तेलंगाना	759	978.57	36	191.70
हरियाणा	285	637.73	59	181.10
बिहार	712	698.59	40	172.16
राजस्थान	719	743.78	64	160.64
हिमाचल प्रदेश	32	18.49	39	130.44
तमिलनाडु	1454	503.44	72	119.19
उत्तराखंड	136	168.31	23	112.63
केरल	121	160.56	51	65.32
झारखंड	49	72.54	29	41.92
ओडिशा	293	328.30	34	37.85
असम	87	204.37	9	30.51
दिल्ली	2	3.64	4	16.49
गोवा	1	0.80	6	6.68
चंडीगढ़	1	3.00	1	5.50
मणिपुर	0	0.00	2	0.46
पुदुचेरी	3	2.86	1	0.34
मेघालय	1	6.10	0	0.00
नागालैंड	1	1.76	0	0.00
त्रिपुरा	4	7.09	0	0.00
कुल योग	15982	15956.23	2454	8922.08

अनुबंध-III

1) स्कीम की शुरुआत से वर्ष 2020 से 30 जून 2025 तक, उत्तर प्रदेश के मऊ और बलिया जिलों में विभिन्न ऋणदाता संस्थानों द्वारा **एआईएफ स्कीम** के तहत स्वीकृत फसल भंडारण सुविधा का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि करोड़ रुपये में)

ज़िला	वेयरहाउस		कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन	
	परियोजना की संख्या	स्वीकृत राशि	परियोजना की संख्या	स्वीकृत राशि
बलिया	5	2.69	1	1.52
मऊ	3	2.43	1	0.27
कुल योग	8	5.12	2	1.79

2) पिछले पांच वर्षों के दौरान, एएमआई स्कीम के अंतर्गत बलिया जिले में 4926.58 एम.टी. क्षमता की एक भंडारण परियोजना को मंजूरी दी गई है और ₹36,95,000/- की सब्सिडी जारी की गई है।
